

संश्लिष्ट हो दी है। इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आयेगा।

(ख) जे-10 सेक्शन पहले 9 अप/8 डाउन ट्रेनों पर काम कर रहा था, 7 अप/8 डाउन ट्रेनों पर नहीं। रेलवे की कठिनाइयों को देखते हुए बाद में इसे 9 अप/8 डाउन से 9 अप/10 डाउन में अन्तर्हित कर दिया गया था।

(ग) श्री (घ).- जे 10 सेक्शन (फुलेरा-मंडला रोड) को 9 अप/10 डाउन ट्रेनों के बदले में जैसा कि इस समय है, 7 अप/8 डाउन ट्रेनों के साथ जोड़ने और इसकी गत का मंडला रोड से जोधपुर तक विस्तार करने से जयपुर की डाक से जाने के लिए फुलेरा-जयपुर के बीच एक नया आर.एन.एस. सेक्शन खोलना पड़ेगा और इस पर अतिरिक्त खर्च आयेगा। इससे कर्मचारियों को एक डिबीजम में स्थानान्तरित करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

प्रायुर्वेद रत्न विधियाँ

2726. श्री शशीका बैसाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की प्रायुर्वेद रत्न विधी की प्रायुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत अध्ययन करने के लिए पंजीकरण कराने के प्रयोजन हेतु किन-किन राज्यों में मान्यता दी गई है;

(ख) किन-किन राज्यों में यह मान्यता समाप्त कर दी है और कब से; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि उक्त विधी को सभी राज्यों में मान्यता दी जाये?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नगरपालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्मोहि प्रसाद दास) :
(क) और (ख). दादरा और नगर हवेली के संघ शासित प्रशासन में सूचित किया है

कि वहाँ पर कोई मेडिकल कालेज खर्च पर खर्च नहीं है। क्षेत्र राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 1931 तथा 1967 के बीच दी गई "प्रायुर्वेद रत्न" की अर्हता भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत मान्य अर्हताओं की दूसरी अनुसूची में पहले के ही शामिल है। सन् 1967 के बाद प्रदान की गई अर्हता को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता नहीं दी गई है। यदि यह संस्था भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्य चर्चा के अनुसार नियमित रूप से शिक्षा देगी तो उस संस्था द्वारा दी जाने वाली इस अर्हता को इस अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता दी जाएगी।

New Policy for opening of Post Offices

2727. SHRI A. ASOKARAJ: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have formed any new policy or plan to open new post offices;

(b) if so, the details of the new policy; and

(c) how many villages would get benefit by the new scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKH-DEO SAI): (a) Yes, Sir.

(b) As detailed in the statement.

(c) As the opening of a post office depends on several factors, including anticipated income, population of the village, as well as distance of the village from the existing post offices and as these factors vary from time to time, the exact number of villages likely to get the benefit of the new policy can not be ascertained. The